

फर्द अहकाम

शालू बनाम धारी व अन्य

आयालय हायकोरत नवलखर (जस्टिस ट्रेड) अहमद
महाराष्ट्र-वजपुर

ड्या 55/2023

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
14/8/24	<p>पगावली पेडा इव अचिवक्ता वादी उपस्थित। अचिवक्ता वादी की वरस कुरेजात रिपोर्ट पर सुनी शर्त। वादी द्वारा कुरेजात रिपोर्ट पर सहमति व्यक्त की गई है। तथा प्रतिवादीपुत्र की कार से कोई अन्य भापति कुरेजात रिपोर्ट वास्तव्य प्रस्तुत नहीं की गई है।</p> <p>आज्ञा: पगावली नस्ते अचिव अग्रिम नदर फिनां 21.08.24 को पेडा घे</p>	
21/8/24	<p>पगावली पेडा इव अचिवक्ता वादी उपस्थित। अचिवक्ता वादी की वरस कुरेजात रिपोर्ट के तथ्यों पर गनग फिना व प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट का गणनापूर्वक अवलोकन किया अवलोकन अनुसार कुरेजात रिपोर्ट सिद्ध व उपयुक्त उदघोषित होती है। जो पञ्चकारान की उपस्थिति में तैयार कर प्रस्तुत की गई है। जिसके अर्थ में प्रतिवादीपुत्र की कार से कोई भापति/आपत्तिक भापति भी प्रस्तुत नहीं की गई है। वादी पुत्र द्वारा कुरेजातरिपोर्ट पर सहमति व्यक्त की गई है।</p> <p>आज्ञा: नस्तीपदार कामर की कार से वीके गाम-धारी तह. कामर जिला जयपुर स्थित वायअधीन भूमि आ.ख. नं. 357, 358, 359 कुल खेहरा</p>	

हायकोरत नवलखर (जस्टिस ट्रेड) अहमद
महाराष्ट्र-वजपुर

P.T.O.

फर्द अहकाम
 कायू बनाम घासी व अन्य

नाम न्यायालय **हायक कलेक्टर (चरत ट्रेड) अमेर**
 मृत्यालय-बनपुर
 केस संख्या **55/2023**

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	21/8/23	<p>किला 3 कुए रकबा 1.3400 हे. के सन्दर्भ में सुलत करेजात रिपोर्ट अनुसार वाद वादी अंतिम डिडी किया जाला है निर्णय सुनाया गया। पचावली फेरुल शुमार एफर दर्ज नम्बर से कम है। काद लकमीए अक्षित यफतर है।</p> <p align="right">हायक कलेक्टर (चरत ट्रेड) अमेर मृत्यालय-बनपुर</p>

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय जयपुर व इजलास श्यामा राठीड, आर.ए.एस

वाद संख्या : 55/2023

निर्णय दिनांक : 21.08.2024

कालू पुत्र चौथू जाति गुर्जर निवासी ग्राम स्यारी तहसील आमेर जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. घासी पुत्र चौथू
2. श्योदान पुत्र चौथू
समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम स्यारी तहसील आमेर जिला जयपुर।
3. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील आमेर, जिला जयपुर।
उप पंजीयक कार्यालय आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर राज।

...प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा
निर्णय

पक्ष द्वारा तहसीलदार आमेर की ओर से प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट पर सहमति व्यक्त की गई है तथा अवलोकन अनुसार प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट विधिवत व उपयुक्त भी प्रदर्शित होती है। जिसके संदर्भ में प्रतिवादी पक्ष की ओर से भी कोई मान्य/औपचारिक आपत्ति भी प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः तहसीलदार आमेर की ओर से ग्राम स्यारी तहसील आमेर जिला-जयपुर स्थित विवादित भूमि आ.ख.न 357, 358, 359 कुल खसरा किता-3 कुल रकबा 1.3400 है. के संदर्भ में प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट अनुसार वाद वादी निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है:-

वर्तमान जमाबन्दी प्रविष्टि

क्रम संख्या	खातेदार का नाम	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान
1	कालू पुत्र चौथू हि. 1/3 जाति गुर्जर सा.देह	357	0.6300	बारानी 2	2.22
	खातेदार राहिन हि. 1/3 UBI अचरोल	358	0.1100	बारानी 2	0.39
2	घासी पुत्र चौथू हि 1/3 जाति गुर्जर सा.देह	359	0.6000	बारानी 2	2.10
	खातेदार राहिन हि. 1/3 UBI अचरोल				
3	श्योदान पुत्र चौथू हि 1/3 जाति गुर्जर सा.				
	देह खातेदार राहिन हि. 1/3 UBI अचरोल				
कुल किता		3	1.3400		

कुरेजात रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित प्रविष्टि

क्रम संख्या	खातेदार का नाम	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान
1	कालू पुत्र चौथू हि. 1/3 जाति गुर्जर सा.देह	359/1	0.4406	बारानी 2	
	खातेदार राहिन हि. 1/3 UBI अचरोल	357/1	0.0060	बारानी 2	
	कुल किता 2		0.4466		
2	घासी पुत्र चौथू हि 1/3 जाति गुर्जर सा.देह	359/2	0.1594	बारानी 2	
	खातेदार राहिन हि. 1/3 UBI अचरोल	358	0.1100	बारानी 2	
		357/2	0.1773	बारानी 2	
कुल किता		3	0.4467		
3	श्योदान पुत्र चौथू हि 1/3 जाति गुर्जर सा.	357/3	0.4467		
	देह खातेदार राहिन हि. 1/3 UBI अचरोल				
कुल किता 1			0.4467		

उपरोक्त विवादग्रस्त आराजी का विभाजन मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट किया जाकर अलग-अलग खाता व लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार आमेर को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक का अदा करें।


बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 21.08.2024 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
जयपुर

ओहदा

	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
मुदई	2	00	स्टाम्प अर्जी दावा	-	-
स्टाम्प अर्जी दावा	2	00	स्टाम्प अर्जी	-	-
स्टाम्प वकालत नामा			महन्ताना वकील		
स्टाम्प वह सबूत			खर्चा गवाहान		
महन्ताना वकील			फीस कमिश्नर		
खर्चा गवाहान			बाबत इजराय हुक्मनामा		
फीस कमिश्नर			मुतफरिक		
बाबत इजराय हुक्मनामा					
मुतफरिक					
मीजान	4	00		मीजान	



इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दी फरीकेत का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया गया हो या नहीं,
जर्न करना चाहिए।

Ray
श्री २२ कलकत्ता (जस्ट ट्रेड) अदालत
मुंबई-बंगलूर